न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः— 86/2024

1. फग्गी पुत्र मौहरसिंह जाति जाट निवासी मामटौली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन।

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट वादी

निर्णय **दिनांकः—22.01.2026**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 180/0.32, 181/0.21, 667/0.01, 668/0.73 बाके ग्राम मामटोली में स्थित है। उक्त आराजी में मुझ वादी का नाम जगन सिंह दर्ज है क्योंकि मुझ वादी को गांव की बोलचाल की भाषा में जगन सिंह कहते थे तथा मेरा मेरे समस्त दस्ताबेज जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड एवं मेरे पुत्र पुत्रियों के शिक्षण दस्ताबेज एवं अन्य कृषि भूमि में मुझ वादी का नाम फग्गी दर्ज है मात्र उक्त आराजी में मुझ वादी का नाम जगन सिंह दर्ज है तथा जगनसिंह एवं फग्गी एक ही आदमी है। उक्त आराजी को मुझ वादी ने रहन रख कर कृषि विकास को लोन लिया था तथा मेरी समस्त कृषि भूमि को रहन रखते समय उक्त दोनों नामों की जांच कर फग्गी उर्फ जगन सिंह के नाम से बैंक ने लोन दिया था केसीसी कार्ड संलग्न है। दिनांक 28.07.2024 को जब में वादी अपने नाम को जमाबंदी में एक जैसा कराने के लिए अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन के पास गया तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा जिसके कारण वादी ने उक्त वाद पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि हाल जमाबंदी सम्बत् 2075—78 वाके ग्राम मामटौली अनुसार खसरा नम्बर 667 रकवा 0.01है0, 668 रकवा 0.73है0, 180 रकवा 0.32है0, 181 रकवा 0.21है0 में वादी का नाम जगनसिंह पुत्र मौहरसिंह हि. मुताविक जमावंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। आधार वर्ष सम्बत् 2074—74 वाके ग्राम मामटौली की जमावंदी अनुसार भी उक्त खसरा नम्बरान में इन्द्राज समान रूप से दर्ज है। ग्राम मामटौली के मजमेआम में जानकारी करने पर उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि जगनसिंह पुत्र मौहरसिंह को ही फग्गी पुत्र मौहरसिंह के नाम से सभी लोग जानते है। अर्थात जगनसिंह और फग्गी एक ही व्यक्ति के नाम है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी बाके ग्राम मामटौली में स्थित है उक्त आराजी में मुझ वादी का नाम जगन सिंह दर्ज है क्योंकि मुझ वादी को गांव की बोलचाल की भाषा में जगन सिंह कहते थे तथा मेरा मेरे समस्त दस्ताबेज जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड एवं मेरे पुत्र पुत्रियों के शिक्षण दस्ताबेज एवं अन्य कृषि भूमि में मुझ वादी का नाम फग्गी दर्ज है मात्र उक्त आराजी में मुझ वादी का नाम जगन सिंह दर्ज है तथा जगनसिंह एवं फग्गी एक ही आदमी है। उक्त आराजी को मुझ वादी ने रहन रख कर कृषि विकास को लोन लिया था तथा मेरी समस्त कृषि भूमि को रहन रखते समय उक्त दोनों नामों की जांच कर फग्गी उर्फ जगन सिंह के नाम से बैंक ने लोन दिया था। जमाबंदी में वादी का सही नाम फग्गी दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78 के खाता संख्या 40, 146 पहचान दस्ताबेज बोटर आईडी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, राशनकार्ड, पेंशनर वार्षिक सत्यापन स्लिप एवं खाता संख्या 40 में वादी का नाम फग्गी पुत्र मौहर सिंह दर्ज है। तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जगन सिंह एवं फग्गी एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है। वादी का नाम जगन सिंह के स्थान पर फग्गी जमाबंदी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में आराजी खसरा नम्बर 180/0.32, 181/0.21, 667/0.01, 668/0.73 बाके ग्राम मामटोली में खातेदार वादी का नाम जगनसिंह पुत्र मौहरसिंह को कलमजन कर उसके स्थान पर फग्गी उर्फ जगनसिंह पुत्र मौहरसिंह दर्ज रिकार्ड किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (R.A.S.)

फकरी बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत् धारा 88, 89 RTA

मुकदमा नं. 86/2024 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री धर्मेन्द्र चौधरी एड० मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है तहसीलदार उच्चैन को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के आराजी ख० नं० 180/0.32, 181/0.21, 667/0.01, 668/0.73 वाके ग्राम भामरोली के खातेदार वादी का नाम जगनसिंह पुत्र मोहरसिंह को कलमजद कर उसके स्थान पर फकरी उर्फ जगनसिंह पु० मोहरसिंह दर्ज रिकार्ड किया जावे।

आज .... मुबलिग .... बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 01 वर्ष 2026 को जारी की गई।

दस्तखत ....

सहायक कलक्टर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील)पर	....		
महनताना वकील)पर	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....						
मीजान	....			मीजान	....		

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः— 86/2024

1. फग्गी पुत्र मौहरसिंह जाति जाट निवासी मामटौली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन।

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)